

न्यायालय सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)  
जयसूराम बनाम नागरमल वगैरे  
दावा नं. 188 आर टी एक्ट.  
मुकदमा नम्बर - 76/2025

न्यायालय  
अहकाम की प्रत  
दुरुस्त की जायेगी  
ने जारी हुई

वादी की ओर से वकील श्री झाबर सिंह भारणी  
एक्ट ने उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम- 1955 का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर  
किया जावे। वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादीगण की तलबी  
जारीये सम्मन मय नकले रजिस्टर्ड डाक मय लिफाफे/स्पीड पोस्ट के  
जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल व प्राप्त होने पालना  
रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।

*Handwritten signature*

(अनिल कुमार)  
सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)  
सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

26-5-25 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय  
पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी  
दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में  
हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 28-5-25 को पेश हो।

28-7-25 पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय  
पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी  
दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में  
पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 28-9-25 को पेश हो।

27-10-25 पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी म



प्रकृण में केर्ट समाप्त तक 18-25 वा 2

भावना दिलवायी गयी। वकील वादी में से

माता

क्र. - 70/2025

नाम

बोर्ड हाजिर भएन गरी गार्मे हे। अतः बरील  
कार्यवाही मे अनुपास्मेती मे दावा बाबत दमापनी  
विषे घाता (गं. दा. 188 RTA) डे भडम फेदी न  
भडम हाजरी मे खाईन किया जाभा हे। पगावनी  
कसल शुगा। होम वाड लडमील हाजिर दप्तर हे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
श्रीमाधोपुर (सीकर)